

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास
प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 66वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 15.06.2021


उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को सम्पन्न हुई 66वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य/सचिव
3. श्री अजय सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी, वित्त विभाग उ०प्र० शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
4. डा० मुथुकुमारसामी बी०, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ०प्र० शासन—सदस्य (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
7. श्री एन०के० आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, लि० कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रि:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री आर० आर० सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
7. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
8. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
9. श्री के०के० गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
10. श्री ओ०पी० पाठक, विशेष कार्याधिकारी, भू-अर्जन, यूपीडा।
11. श्री के०के० सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री डी०पी० सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री के०के० पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री बी०एस० दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
15. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
16. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।



उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 65वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

एजेण्डा बिन्दु-01:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को सम्पन्न हुई 65वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णय:-

निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 65वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु-02:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को सम्पन्न 65वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को सम्पन्न हुई 65वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु-03:-

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 द्वारा स्थापित दो 'फ्यूल स्टेशन्स' हेतु यूपीडा एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 के मध्य निष्पादित अनुबन्धों में मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 के निहित अधिकार एवं कर्तव्यों को एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध के माध्यम से मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि0 के पक्ष में हस्तान्तरित किये जानेके सम्बन्ध में।

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 20.03.2018 द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर दो-दो फ्यूल स्टेशन्स स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कम्पनी यथा मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 को चयनित किये जाने और उन्हें लेटर ऑफ अवाई जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उनको फ्यूल स्टेशन्स हेतु 'जहाँ है, जैसा है', के आधार पर भूमि हस्तांतरित करने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुपालन में मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 को 'लेटर ऑफ अवाई' जारी कर उनके साथ लीज अनुबन्ध निष्पादित किये गये थे। दोनों ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा उन्हें आवंटित दो-दो फ्यूल स्टेशन्स की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चैनेज 227+100 पर ग्राम सिस्वरपुर गैर एहतमाली परगना बॉगरमऊ तहसील बॉगरमऊ जिला उन्नाव तथा चैनेज 217+900 पर ग्राम गूजेपुर तहसील बिल्लौर जिला कानपुर नगर स्थित मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 द्वारा संचालित फ्यूल स्टेशन के सम्बन्ध में उनके द्वारा यूपीडा को प्रेषित पत्र दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि पेट्रोलियम एवं




प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 31.03.2020 के द्वारा मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० को प्रदत्त फ्यूल्स की मार्केटिंग व ट्रांसपोर्टिंग के अधिकार मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० (आरबीएमएल), जो कि मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० (अंशधारिता 51 प्रतिशत) तथा बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट्स लि० (अंशधारिता 49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है, को प्रदान किया गया है जिसके पश्चात् मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा मोटर स्पीरिट (एमएस) एवं हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के रिटेल विक्रय हेतु ऑयल मार्केटिंग कम्पनी के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उक्त तथ्यों को दर्शाते हेतु मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा यूपीडा एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० के मध्य दिनांक 26.06.2018 एवं दिनांक 26.07.2018 को क्रमशः जनपद कानपुर नगर एवं जनपद उन्नाव में स्थापित फ्यूल स्टेशन्स हेतु निष्पादित अनुबन्धों में निहित अधिकार एवं कर्तव्यों को मेसर्स आरबीएमएल के नाम हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया था।

3- यूपीडा ने अपने पत्र दिनांक 24.08.2020 एवं दिनांक 01.12.2020 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन को परीक्षण तथा दिशा निर्देश प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया था। उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 15.12.2020 द्वारा यूपीडा को निदेशित किया गया कि यूपीडा, मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० एवं मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध (Assignment Agreement) निष्पादित किया जायेगा, जिसमें यूपीडा एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० के मध्य निष्पादित वर्तमान अनुबन्ध की सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी। उक्त त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किये जाने हेतु होने वाले समस्त व्यय/स्टाम्प ड्यूटी का वहन मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० द्वारा किया जायेगा। त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त ही मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० को यूपीडा द्वारा वह सभी अधिकार प्रदत्त किये जायेंगे जो कि वर्तमान में मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० को दिये गये हैं।

4- उपरोक्त के क्रम में मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थापित दोनों फ्यूल स्टेशन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध (Assignment Agreement) का आलेख्य यूपीडा को प्रदान किया गया था। उक्त आलेख्य का परीक्षण सलाहकार (विधि), यूपीडा से करा कर यूपीडा के पत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ० प्र० शासन को न्याय विभाग, उ०प्र० शासन से विधिक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तदक्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के पत्र दिनांक 17 मई 2021 द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध (Assignment Agreement)का आलेख्य मूल रूप से लौटाते हुये न्याय विभाग के परामर्श से अवगत कराया गया कि न्याय विभाग द्वारा ऐसे अभिलेखों का परीक्षण/विधिक्षण किया जाता है जिसमें, श्री राज्यपाल एक पक्षकार हों, विचाराधीन त्रिपक्षीय पट्टा विलेख अनुबन्ध में श्री राज्यपाल पक्षकार नहीं है। अग्रतर यह भी उल्लेखित किया गया था कि प्रस्तावित त्रिपक्षीय पट्टा विलेख यूपीडा द्वारा किया जा रहा है जो कि एक सांविधिक निकाय है। उक्त के दृष्टिगत न्याय विभाग द्वारा प्रस्तावित विलेख के विधिक्षण किये जाने का औचित्य न पाते हुये यूपीडा के स्तर से प्रस्तावित विलेख को स्वविवेक से निष्पादित किये जाने का परामर्श दिया गया था।

कार्यवाही/निर्णय:-

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं शासन से प्राप्त उपरोक्त सुझाव के क्रम में 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा स्थापित दो 'फ्यूल स्टेशन्स' हेतु यूपीडा एवं मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० के मध्य दिनांक 26.06.2018 एवं दिनांक 26.07.2018 को निष्पादित अनुबन्धों में मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० के निहित अधिकार एवं कर्तव्यों को मेसर्स रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लि० के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने तथा इस हेतु तैयार किये गये पृथक-पृथक त्रिपक्षीय अनुबन्धों (Assignment Agreements) पर संस्तुति प्रदान करते हुये उनके निष्पादन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।



एजेण्डा बिन्दु-04:-

'पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे' पर आठ 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित किये जाने हेतु 'ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों' के चयन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया:-

1- 'पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे' के निम्न आठ स्थानों पर 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित किये जाने का प्राविधान किया गया है:-

- (क) चैनेज 19+150 ग्राम-सराय पाण्डेय, कबूलपुर, जनपद-बाराबंकी
 (ख) चैनेज 63+000 ग्राम-नेवाज, मोहना पश्चिम, जनपद-अमेठी
 (ग) चैनेज 108+300 ग्राम-भरसड़ा, जनपद -सुल्तानपुर
 (घ) चैनेज 144+300 ग्राम-निदुरा, बिरसिंहपुर, जनपद-सुल्तानपुर
 (च) चैनेज 195+600 ग्राम-इमली महुआ, रेड़ा, जनपद-आजमगढ़
 (छ) चैनेज 230+900 ग्राम-किशुनदासपुर, गोधपुर, जनपद-आजमगढ़
 (ज) चैनेज 266+800 ग्राम-बरडीहा, जनपद-मऊ
 (झ) चैनेज 310+450 ग्राम-सहावलपुर, महमूदपुर, जनपद-गाजीपुर

2- 'पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे' के उपरोक्त आठ स्थानों पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने हेतु सरकारी एवं निजी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से 'कम्पनी ओन्ड कम्पनी आपरेटेड' (कोको) पद्धति पर 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित करने हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने के लिये निविदा अभिलेख (आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0) 'निविदा मूल्यांकन समिति' के अनुमोदनोपरान्त ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.12.2020 को प्रकाशित किया गया था।

3- प्रकाशित निविदा अभिलेख के क्रम में प्राप्त निविदाओं को 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 18.03.2021 में इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था। तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा प्राप्त सभी निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को अर्ह पाते हुए उनके वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 30.03.2021 को इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था।

4- 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 30.03.2021 में ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न फ्यूल स्टेशन्स हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव (29 वर्ष 11 माह हेतु मासिक लीज रेन्ट-जीएसटी सहित) प्रस्तुत करने वाली निम्नलिखित ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को चयनित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा प्रदान की गयी थी:-

एजेण्डा बिन्दु-05:-

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 10.06.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 10.06.2021 तक एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया एवं अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि जिन वादों में शपथ पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है आगामी 10 दिनों में विधि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा बिन्दु-06:-

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।


1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.	श्री शिवा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-511/यूपीडा/1543/19/अधि0 दिनांक 18.05.2021
2.	श्री सीताराम यादव	राजस्व सहायक	15.03.2021	03 माह	15.06.2021	सं0-510/यूपीडा/1212/18/अधि0 दिनांक 18.05.2021
3.	श्री भोला नाथ यादव	डाकरनर	28.05.2021	06 माह	28.11.2021	सं0-508/यूपीडा/467/15/अधि0 दिनांक 18.05.2021
4.	श्री हशमतुल्लाह सिद्दीकी	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-549/यूपीडा/1555/19/अधि0 दिनांक 20.05.2021
5.	श्री रवीन्द्र गोडबोले	नोडल अधिकारी (आगरा-लखनऊ) एक्सप्रेसवे	09.04.2021	एक वर्ष	09.04.2022	सं0-576/यूपीडा/1182/18/अधि0 दिनांक 21.05.2021
6.	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.05.2021	06 माह	14.11.2021	सं0-577/यूपीडा/351/14/अधि0 दिनांक 21.05.2021
7.	श्री राम चन्द्र	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-630/यूपीडा/1554/19/अधि0 दिनांक 24.05.2021
8.	श्री के0के0अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक)	24.05.2021	06 माह	24.11.2021	सं0-605/यूपीडा/1890/20/अधि0 दिनांक 24.05.2021
9.	सुश्री रिचा मिश्रा	विधि सलाहकार	09.06.2021	06 माह	09.12.2021	सं0-596/यूपीडा/1949/20/अधि0 दिनांक 24.05.2021
10.	श्री भागीरथ शुक्ला	वरिष्ठ सहायक नजारत	18.06.2021	06 माह	18.12.2021	सं0-634/यूपीडा/1469/19/अधि0 दिनांक 25.05.2021
11.	श्री अली शेर खॉ	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक)	25.05.2021	06 माह	25.11.2021	सं0-650/यूपीडा/1889/20/अधि0 दिनांक 25.05.2021
12.	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.06.2021	06 माह	06.12.2021	सं0-636/यूपीडा/1315/19/अधि0 दिनांक 25.05.2021
13.	श्री राम किंकर त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-752/यूपीडा/1544/19/अधि0 दिनांक 31.05.2021
14.	श्री निर्मल दास यादव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-751/यूपीडा/1553/19/अधि0 दिनांक 31.05.2021
15.	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-824/यूपीडा/1552/19/अधि0 दिनांक 03.06.2021
16.	श्री सर्वेश कुमार कटियार	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-818/यूपीडा/1540/19/अधि0 दिनांक 03.06.2021
17.	श्री उमेश प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-823/यूपीडा/1538/19/अधि0 दिनांक 03.06.2021
18.	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0-819/यूपीडा/1550/19/अधि0 दिनांक 03.06.2021
19.	श्री राममूर्ति	निजी सचिव	02.06.2021	03 माह	02.09.2021	सं0-821/यूपीडा/1109/18/अधि0 दिनांक 03.06.2021
20.	श्री काली चरन	डाकरनर	30.06.2021	06 माह	30.12.2021	सं0-820/यूपीडा/406/15/अधि0 दिनांक 03.06.2021
21.	श्री मुन्ना लाल वर्मा	फारेस्टर	18.06.2021	06 माह	18.12.2021	सं0-822/यूपीडा/1895/20/अधि0 दिनांक 03.06.2021
22.	डा0 अखलाक हुसैन	प्रबन्धक (पर्यावरण)	17.07.2021	06 माह	17.01.2022	सं0-908/यूपीडा/1346/19/अधि0 दिनांक 07.06.2021
23.	श्री चन्द्र कुमार सांगवानी	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	23.06.2021	06 माह	23.12.2021	सं0-909/यूपीडा/1582/19/अधि0 दिनांक 07.06.2021
24.	श्री कमल कुमार	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.06.2021	06 माह	01.12.2021	सं0-907/यूपीडा/1893/20/अधि0 दिनांक 07.06.2021
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह	फारेस्टर	08.06.2021	06 माह	08.12.2021	सं0-911/यूपीडा/1894/20/अधि0 दिनांक 07.06.2021
26.	श्री बृजभूषण पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक अधिष्ठान	18.06.2021	06 माह	18.12.2021	सं0-909/यूपीडा/1471/19/अधि0 दिनांक 07.06.2021
27.	श्री अरूण कुमार कपूर	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ)	01.06.2021	06 माह	01.12.2021	सं0-939/यूपीडा/1892/20/अधि0 दिनांक 08.06.2021

2. यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 66वीं बोर्ड की बैठक 15.06.2021 में प्राप्त किया गया:-



यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्तियों की गयी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/तिथि
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सुरक्षा अधिकारी	06 माह पुनः नियुक्ति	06.05.2021	सं०-509/यूपीडा/1945/20/अधि० दिनांक 18.05.2021
2.	कर्नल संजय सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरीडोर)	06 माह	01.06.2021	सं०-746/यूपीडा/1148/21/अधि० दिनांक 31.05.2021
3.	श्री अरुण कुमार पाठक	मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत)	06 माह	01.06.2021	सं०-745/यूपीडा/1148/21/अधि० दिनांक 31.05.2021

3. यूपीडा में कार्यरत श्री बी०एस०दुबे, सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल) को उनके आवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यूपीडा में वाहन (टैक्सी) न लेने की स्थिति में दिनांक 08.06.2021 को पेट्रोल भत्ते की सुविधा अनुमन्य की गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय

अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में तैनात कार्मिकों का वेतन एवं होने वाले व्यय का प्रत्येक माह आकलन प्रस्तुत किया जायें। उक्त के अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या-06 के उप बिन्दु 01, 02 03 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-07:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम जरईकला तहसील बल्दीराय के 0.7758 हे०, हलियापुर तहसील बल्दीराय के 0.7572 हे०, रतनपुर तहसील कादीपुर के 0.022 हे० एवं मसुरन तहसील कादीपुर के 0.04 हे० जनपद सुल्तानपुर के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम जरईकला तहसील बल्दीराय के 0.7758 हे०, हलियापुर तहसील बल्दीराय के 0.7572 हे०, रतनपुर तहसील कादीपुर के 0.022 हे० एवं मसुरन तहसील कादीपुर के 0.04 हे० जनपद सुल्तानपुर के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-08:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम रौनी तहसील हैदरगढ़ 0.0387 हे० जनपद बाराबंकी के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम रौनी तहसील हैदरगढ़ 0.0387 हे० जनपद बाराबंकी के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-09:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम आदमपुर नौबस्ता तहसील मोहनलालगंज 0.0881 हे० जनपद लखनऊ के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।



कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम आदमपुर नौबस्ता तहसील मोहनलालगंज 0.0881 हे० जनपद लखनऊ के संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-10:-

मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट्स, लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 14 अगस्त 2020 व 28 दिसंबर 2020 को सम्पन्न निदेशक मण्डलकी बैठकों में निर्णीत अनुसार एवं शासनादेश सं. 2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26 नवंबर 2020 के प्रस्तर [12] में निहित आदेशानुसार मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को वित्तीय सलाहकार के रूप में नॉमिनेशन के आधार पर आबद्धकिया गया था, जिसके लिए उन्हें रु. 50.00 लाख (रुपये पचास लाख केवल) की परियोजना फीस निम्नवत तीन चरणों में यूपीडा द्वारा प्रदेय थी:-

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व : रु. 10.00 लाख + जी.एस.टी.
2. ड्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट यूपीडा को उपलब्ध कराने पर : रु. 30.00 लाख + जी.एस.टी.
3. फाइनल फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के पश्चात : रु. 10.00 लाख + जी.एस.टी.

यह भी अवगत कराया गया कि एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा ड्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट यूपीडा को उपलब्ध करा दी गई है। तदनुसार उन्हें अब तक रु. 40.00 लाख + जी.एस.टी. का भुगतान यूपीडा द्वारा कर दिया गया है। अब एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा फाइनल फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट, फाइनल फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट के आधार पर शासन के विचारार्थ विस्तृत नोट तथा 'प्रीलिमिनरी इन्फोर्मेशन मेमोरेण्डम' भी यूपीडा को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इन अभिलेखों के संतोषजनक स्थिति में प्राप्त होने पर ही एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को शेष धनराशि रु. 10.00 लाख + जी.एस.टी. का भुगतान यूपीडा द्वारा कर दिया जाएगा। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त स्थिति को संज्ञानमें लिया गया और एजेण्डा नोट में संलग्न ड्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्टका अवलोकन कर उसे रिकॉर्ड परलिया गया।

एजेण्डा बिन्दु-11:-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-02 के अन्तर्गत जनपद- आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में:-

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-02 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-12:-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-5 के अन्तर्गत जनपद- अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।


कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-5 के अन्तर्गत जनपद-अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु-13:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।




वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:-

(घनराशि करोड में)

1	योजना का नाम	बजट प्राविधान	शासन स्तर/ वित्त संस्थाओं से जारी स्वीकृति	व्यय		टिप्पणी
				कुल		
2	3	4	5	6		
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या-7	250.00	114.96	58.00	
	योग		250.00	114.96	58.00	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या-7	1,106.79	400.00	400.00	
	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	300.00	300.00	300.00	
	योग		1,406.79	700.00	700.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या-7	840.00	124.40	60.76	
		अनुदान संख्या-7	941.68	235.42	235.00	
	योग		1,781.68	359.82	295.76	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	607.48	300.00	300.00	
		भूमि क्रय	252.34			
	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	-			
	योग		859.82	300.00	300.00	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या-7	57.75	11.95	6.71	
			57.75	11.95	6.71	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	1,435.86	500.00	500.00	
		भूमि क्रय	55.85	-	-	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	400.00	400.00	400.00	
	योग		1,891.71	900.00	900.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या-7	329.50	52.11	25.39	
	योग		329.50	52.11	25.39	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या-7	150.00	-	-	
	योग		150.00	-	-	
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	भूमि क्रय हेतु	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
		भूमि क्रय हेतु	5,000.00			
		यूटीलिटी एवं अन्य व्यय	489.24			
	योग		7,689.24	2,200.00	2,200.00	
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि क्रय हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या-7	163.62	20.16	20.16	
	योग		163.62	20.16	20.16	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या-7	0.50	-	-	
	योग		0.50	-	-	
	महायोग		14,580.61	4,659.00	4,506.02	

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।



अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-01:-

यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निर्देशक मण्डल की बैठक दिनांक 15.06.2021 हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ।

यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निर्देशक मण्डल की बैठक दिनांक 15.06.2021 हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष, निदेशक मण्डल द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे की भूमि क्रय हेतु जनपद स्तर पर (जिला मध्यम एवं वृहद परियोजना क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है) परियोजना में क्रय की जा रही भूमि से सम्बन्धित प्रस्तावों पर यह समिति निर्णय लेती है एवं प्रस्तावित दरों एवं कुल भूमि मूल्य के प्रस्ताव पर आयुक्त से अनुमोदन उपरान्त यूपीडा को प्रेषित करती है। परियोजना में भूमि उक्त दरों एवं मूल्य पर क्रय की जाती है, जिसका औपचारिक अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के स्तर से किया जाता है एवं प्रत्येक आगामी बैठकों में निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान प्रस्ताव भी इसी श्रेणी का है। संलग्न तालिका में पत्रांक एवं भूमि से सम्बन्धित अन्य विवरण अंकित हैं, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाना निवेदित है।

कार्यवाही/निर्णय

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-02:-

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग व्यवस्था हेतु सम्भावित आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं हेतु प्रस्ताव।

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है एवं 01 सितम्बर 2021 से यह एक्सप्रेसवे जन प्रयोगार्थ समर्पित की जानी प्रस्तावित है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की भांति पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना नियंत्रण एवं यातायात प्रबन्धन हेतु पेट्रोलिंग व्यवस्था यूपीडा द्वारा संचालित की जानी है। संदर्भ हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तैनात सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा कर्मियों के विवरण निम्नवत है, एवं अनुपातिक रूप से पूर्वाचल एक्सप्रेसवे की आवश्यकता तालिका में दर्शाई गई है:-

वर्तमान में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी			पूर्वाचल एक्सप्रेसवे प्रस्तावित	
क्रमांक	मद	संख्या	मद	संख्या
1	कुल पैकेज की संख्या	05	कुल पैकेज की संख्या	08
2	नोडल अधिकारी	01	नोडल अधिकारी	01
3	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	03	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	03
4	सुरक्षा अधिकारी	05	सुरक्षा अधिकारी	08

5	सहायक सुरक्षा अधिकारी	10	सहायक सुरक्षा अधिकारी	16
6	गार्ड 24X5 =	120	गार्ड 24X8=	192
7	वाहन चालक	38	वाहन चालक	48
8	वाहन	15	वाहन	20

वर्तमान में आगरा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग व्यवस्था एवं ए0टी0एम0एस0 यूपीडा द्वारा संचालित की जा रही है, साथ ही एम्बुलेन्स की व्यवस्था यूपीडा एवं टोल आउटसोर्स एजेन्सी के सहयोग से संचालित की जा रही है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर संचालित यातायात व्यवस्था में उ0प्र0 पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की सेवाएं ली जा रही हैं, एवं गार्डिंग कार्य के लिए भूतपूर्व सैनिक, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से गार्ड नियोजित किये गये हैं।

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर सम्भावित आवश्यक मानव संसाधन आपूर्ति की सूची निम्नवत है:-

क्रमांक	पद का नाम	संख्या	भर्ती का श्रोत
1	नोडल अधिकारी	01	संविदा के आधार पर
2	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	02	संविदा के आधार पर
3	सुरक्षा अधिकारी	08	संविदा के आधार पर
4	सहायक सुरक्षा अधिकारी	16	संविदा के आधार पर
5	गार्ड	192	भूतपूर्व सैनिक
6	वाहन चालक	48	यूपीडा की चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से
7	आवारा पशुओं से रोकथाम	01	यूपीडा की चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से (सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की भाँति)
8	एम्बुलेन्स	08	यूपीडा की चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से (सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना प्रबन्धन हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की किराये की भाँति)

20 इनोवा वाहन के क्रय किये जाने की अनुमानित लागत 4 करोड़ है, पूर्व की भाँति वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है, एवं इस विषय का प्रस्ताव निदेशक मण्डल की सैद्धान्तिक सहमति निवेदित है।

उपरोक्त प्रस्ताव को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की भाँति पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना नियंत्रण एवं यातायात प्रबन्धन हेतु पेट्रोलिंग व्यवस्था संचालित की जानी है। उक्त के अतिरिक्त एम्बुलेन्स एवं आवारा पशुओं से रोकथाम के लिये एजेन्सी का चयन टेन्डर के माध्यम से लिया जायेगा साथ ही 20 इनोवा वाहन क्रय किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर अनुमति ले ली जाये।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-03:-

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के अंतर्गत जनपद-अलीगढ़ में द्वितीय चरण में प्राप्त भूमि की दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

(Handwritten signature)

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के अंतर्गत द्वितीय चरण में जनपद-अलीगढ़ की तहसील-खैर के ग्राम-अण्डला, हैवतपुर व तहसील-कोल के ग्राम-करसुआ में कुल 25.308 हे० भूमि क्रय की जा रही है। जिसे आवंटियों को लीज पर आवंटित करने हेतु भूमि की औसत दर रू० 1,45,07,835 प्रति हे० संभावित धनराशि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-04:-

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के अंतर्गत जनपद-अलीगढ़ में आवंटियों को लीज पर भूमि आवंटित करने हेतु लीज डीड का अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के अंतर्गत जनपद-अलीगढ़ में आवंटियों को लीज पर भूमि आवंटित करने हेतु लीज डीड के प्रारूप का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-05:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये प्रशंसा व्यक्त की गई।

कार्यवाही/निर्णय

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-06:-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

कार्यवाही/निर्णय

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-07:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-05 के कॉन्ट्रक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-05 के कॉन्ट्रक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।


कार्यवाही/निर्णय

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु-08:-

यूपीडा में तैनात संविदा एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों को मेडिकल इन्शुरेन्स सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक।

अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई की यूपीडा के प्रशासनिक विभाग के विशेष सचिव, जो दिनांक 15.06.2021 के बैठक अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थिति थे, उप/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के साथ संयुक्त रूप से चर्चा कर अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत यूपीडा कर्मी को मेडिकल इन्शुरेन्स दिये जाने का प्रस्ताव पर प्रदेश के अन्य प्राधिकरण में लागू चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा बीमा के संदर्भ में आख्या प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।


कार्यवाही/निर्णय



बैठक के समापन पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एक्सप्रेसवे में वृक्षारोपण किया जायेगा, जिसके लिये 02 दिनों में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, यूपीडा द्वारा 01 करोड़ रुपये के पौधों का क्रय कर एक्सप्रेसवे के समीपवर्ती ग्रामों में वितरण किया जाना है, यूपीडा का लक्ष्य है, कि कम से कम 10,50,000 वृक्षों का रोपण एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाये साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया है, कि यूपीडा एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले राजस्व ग्रामों में स्थित प्राईमरी स्कूलों में 01 स्मार्ट क्लास निर्मित कराई जायेगी, जिस पर आने वाला व्यय सम्बन्धित क्षेत्र की निर्माण एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा, आवश्यकता पड़ने पर यूपीडा भी उसमें सहयोग करेगी। इस योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कम से कम 500 ग्रामों, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे में कम से कम 300 ग्रामों एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 200 ग्रामों कुल अनुमानित 1000 ग्रामों के प्राईमरी विद्यालयों में 01 स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यूपीडा के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एक्सप्रेसवे पर पातन किये जा रहे वृक्षों में अच्छे एवं पुराने वृक्षों को पातन से बचाने के लिए दो ट्री ट्रान्सप्लान्टेशन मशीन क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाये, जिससे एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय मार्ग में आने वाले पुराने वृक्षों को विस्थापित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि यूपीडा की आगामी बैठक में डिफेन्स कॉरिडोर के प्रत्येक नोड से सम्बन्धित 01 प्रस्तुतीकरण नोडल अधिकारी, डिफेन्स कॉरिडोर द्वारा भी किया जायेगा।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को सम्पन्न हुई 66वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15.06.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी